आगरा विकास आविप्रा प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक 686/D/भवन/19 दिनांक 07/2/19

पूर्णता प्रमाण-पत्र

ताजगंज वार्ड में स्थित खसरा सं0–160, 161पी, 162, मौजा–चमरौली, आगरा पर ब्लाक–सी पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग (एमरल्ड हाईट्स) के सम्बन्ध में प्रस्तुत पूर्णता प्रमाण पत्र आवेदन के भाग अ, ब एवं स का परीक्षण नगर नियोजक/अधिशासी अभियन्ता (भवन) /अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत शमन मानचित्र सं0–एनएफटी/वीसी/70/14–15 दिनांक 28.05.2016 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदया के आदेश दिनांक 04.02.19 के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण–पत्र निम्न शर्तों के अधीन जारी किया जाता है–

1. विकासकर्ता द्वारा स्वीकृत शमन मानचित्र से अतिरिक्त निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
2. अग्निशमन विभाग द्वारा जारी अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र में अंकित समस्त निर्देशों का पालन करना होगा।
3. स्वीकृत शमन मानचित्र में लगायी सभी शर्तों का पालन करना होगा।
4. उ0प्र0 अपार्टमेन्ट अधिनियम–2010 यथासंशोधित–2016 की धारा–14 के अन्तर्गत प्रमोटर्स और अपार्टमेन्ट स्वामियों का संघ/रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन कर पंजीकृत कराना होगा।
5. उ0प्र0 अपार्टमेन्ट अधिनियम–2010 यथासंशोधित–2016 की धारा–14 के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण होने तक अपार्टमेन्ट का रख–रखाव भू–स्वामी द्वारा किया जायेगा।
6. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत पत्र में अंकित समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।

7/2/19

मुख्य नगर नियोजक
C.T.P. ADA

BPSaab CC letter